न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 252/2009 **दायरा दिनांक : 09.07.2009**

उनवान

महावीर दत्तक पुत्र रामनाथ जी, जाति नाई, निवासी अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– कन्हैयालाल पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभूलाल जी, जाति नाई, निवासी रातडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां

2– ओम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभूलाल जी, जाति नाई, निवासी रातडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां

3– कमलेश पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभूलाल जी, जाति नाई, निवासी रातडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां

4– गुलाब बाई बेवा स्वर्गीय श्री प्रभूलाल जी, जाति नाई, निवासी रातडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.02.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहायक कलेक्टर, अन्ता के प्रकरण संख्या – 330/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2008 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री जेर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत बेदखली आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 716 रकबा 0.26 हेक्टर भूमि का वादीगण रेस्पोडेंट को खातेदार कृषक होना मानकर प्रतिवादी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपीलांट को ग्राम रातडिया, तहसील अन्ता की उपरोक्त आराजी से बेदखली किया जाकर कब्जा वादीगण रेस्पोडेंट को दिलाये जाने का निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण रेस्पोडेंट का दावा दायरी के 35 वर्ष पूर्व से कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । प्रतिवादी अपीलांट वादग्रस्त आराजी 35 वर्ष पूर्व से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं । अतः एडवर्स पजेशन के आधार पर भी प्रतिवादी अपीलांट खातेदार टीनेन्ट हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम निर्णित किये बिना ही दावा वादीगण रेस्पोडेंट डिक्री फरमाने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट को शहादत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2008 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.06.2009 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी रेस्पोडेंट अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 716 रकबा 0.26 हेक्टर है । वादी ने सन् 1995 में वादग्रस्त आराजी पांति काश्त पर प्रतिवादी को दी थी । प्रतिवादी ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया । विवादित आराजी पर वादी का 35 साल से कब्जा चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने काउंटर क्लेम को डिसाइड नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । वादी ने

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

दावे में पांति काश्त लिखा है और बयानों में मुनाफा काश्त कहा है । दोनों में अन्तर है । वादी अपने वाद को प्रमाणित नहीं कर सके हैं । पी डब्ल्यू 2 ने अपने बयान में कहा है कि महावीर व उसके नाना 30–35 साल से काश्त कर रहे हैं जबकि दावा 2003 में पेश हुआ और बयान 2004 में कराये हैं । वादी ने बेदखली का दावा किया जो मियाद बाहर है जबकि दावा 12 वर्षों में करना चाहिए । अतः अपील स्वीकार की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2006(2) पेज 1318, आर बी जे (6) 1999 पेज 504, आर आर डी 1994 पेज 528 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जमाबंदी सम्वत 2056 से 2059 में वादीगण रेस्पोडेंट के नाम खसरा नम्बर 716 रकबा 0.26 हेक्टर आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । साक्ष्य पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 5 समस्त गवाहों ने वादीगण रेस्पोडेंट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार होना स्वीकार किया है जिसकी पुष्टि वादीगण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2056 से 2059 से होती है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2008 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– महावीर दत्तक पुत्र रामनाथ जी, जाति नाई, निवासी अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां
.....**अपीलांट**

बनाम

1– कन्हैयालाल पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभूलाल जी, जाति नाई, निवासी रातडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां
2– ओम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभूलाल जी, जाति नाई, निवासी रातडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां
3– कमलेश पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभूलाल जी, जाति नाई, निवासी रातडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां
4– गुलाब बाई बेवा स्वर्गीय श्री प्रभूलाल जी, जाति नाई, निवासी रातडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां
..... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 252/2009 व नाराजगी डिकी अदालत – **सहायक कलेक्टर, अन्ता**
मु.द.नं 330/2008 निर्णय एवं डिकी दिनांक – **29.09.2008**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 02 माह 02 सन् 2021

हाजरी **श्री नरेन्द्र गुप्ता** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 29.09.2008 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **18** माह **02** सन् **2021** को जारी किया गया।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राज.